

परिशिष्ट-अ

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 6558

क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत खनिपट्टों की संख्या	गौण खनिज के स्वीकृत उत्खनिपट्टों की संख्या
1	रीवा	42	117
2	सतना	229	55
3	सीधी	08	29
4	सिंगरौली	10	110

र
अनुभाग अधिकारी
मुख्यमंत्री, शासन,
खनिज साधन विभाग

एस. के. खरे
उप संचालक (ख.प्र.)

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमोंक 6558

परिशिष्ट-क

क्र.	जिला	खनि रियायत का प्रकार	स्वीकृत संख्या	स्वीकृत में से ऐसी खदानों की संख्या जिसमें ई.सी. प्राप्त हुई है		ऐसी खदानों की संख्या जिनमें ई.सी. प्राप्त नहीं है		जिन खदानों में ई.सी. प्राप्त नहीं है क्या उनमें खनन कार्य हो रहा है/संचालित है की संख्या
				मुख्य खनिज	गौण खनिज	मुख्य खनिज	गौण खनिज	
1	रीवा	खनिपट्टा	42	10	00	32	00	03
		उत्खनिपट्टा	117	00	12	00	105	47
2	सतना	खनिपट्टा	229	45	00	184	00	00
		उत्खनिपट्टा	55	00	05	00	50	15
3	सीधी	खनिपट्टा	08	07	00	01	00	07
		उत्खनिपट्टा	29	00	01	00	28	29
4	सिंगरोली	खनिपट्टा	10	10	00	00	00	00
		उत्खनिपट्टा	110	00	33	00	77	52

टीप :- माननीय एन.जी.टी. प्रिंसीपल बैच, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 10.12.2015 के तहत के Standing Council के अभिमत अनुसार पूर्व से चालु खदानों (Running Mines) को ही ई.सी. (पर्यावरण अनापत्ति) प्रस्तुत करने की समय वृद्धि दिनांक 31.12.2015 तक दी गई थी। इसके अनुक्रम में संचालनालय के पत्र दिनांक 14.12.2015 से सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किए गए हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में ई.सी. हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के कारण ई.सी. प्राप्त न होने पर भी खनन कार्य संचालित है।

अनुभाग अधिकारी
अध्यक्ष शासन,
खनिज साधन विभाग

एन. के. खरे
हप संचालक (ख.प्र.)

विधानसभा भूतारंकित प्रश्न क्रमोंक 6558

क्र.	जिले का नाम	रेत की स्वीकृत खदानों की संख्या	स्वीकृत में से ऐसी खदानों की संख्या जिसमें ई.सी. प्राप्त होकर कार्य प्रारंभ है की संख्या	रेत खदानों की संख्या जिनमें ई.सी. प्राप्त नहीं है	जिन रेत खदानों में ई.सी. प्राप्त नहीं है उस पर कार्य न चले इस हेतु की गई व्यवस्था
1	रीवा	01	01	00	सतत् निगरानी रखी जाती है।
2	सतना	00	00	00	00
3	सीधी	02	00	02	विभागीय अमले द्वारा निरीक्षण कर कार्यवाही की जा रही है।
4	सिंगरौली	23	12	07	सतत् निगरानी रखी जाती है।

अनुमान अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
समिति साधन विभाग

एस. के. खरे
उप संचालक (ख.प्र.)